अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग, उत्तर प्रदेश

वर्ष 2020–2021 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक

(परफॉरमेन्स–बजट)

1 भूमिका

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। साथ ही उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का भी अधिकार देता है।

अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से शासन द्वारा अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। ऐसी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिये उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या 4056/बीस–3–95–539(2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का गठन किया गया।

प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 15/चालीस–2–94–14(15) /91 दिनांक 7.10.1994 द्वारा मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, एवं पारसी समुदायों तथा अधिसूचना संख्या 440/52–4–2003–1(3)–96, दिनांक 29 मार्च, 2003 द्वारा जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या की तुलना में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत निम्नवत् है :–

क्र0सं0	समुदाय का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में समुदाय का प्रतिशत	
		भारत	उत्तर प्रदेश
1.	मुस्लिम	14.23	19.26
2.	ईसाई	2.30	0.18
3.	सिक्ख	1.72	0.32
4.	बौद्ध	0.70	0.10
5.	पारसी	नगण्य	0.01
6.	जैन	0.37	0.11
	सभी अल्पसंख्यक समुदायों को मिलाकर	19.32	19.98

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व निम्नवत् है :–

देश की अल्पसंख्यक समुदाय की कुल जनसंख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश में

क्र0सं0	समुदाय	भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4
1.	मुस्लिम	71.27	96.40
2.	ईसाई	11.50	0.89
3.	सिक्ख	8.61	1.61
4.	पारसी	0.05	0.03
5.	बौद्ध	3.48	0.52
6.	जैन	1.86	0.53

अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या 19.98 प्रतिशत है।

जनगणना 2011 के आधार पर प्रदेश के 27 ऐसे जिलों, जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या 20 प्रतिशत या उससे अधिक है, की सूची निम्नवत् है :–

क्र0सं0	जनपद का नाम	कुल जनसंख्या की तुलना में अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या
1	2	3
1.	रामपुर	54
2.	मुरादाबाद	48
3.	बिजनौर	48
4.	अमरोहा	41
5.	सहारनपुर	43
6.	मुजफ्फरनगर	42
7.	बलरामपुर	38
8.	बहराइच	34
9.	बरेली	36
10.	मेरठ	36
11.	सिद्धार्थनगर	30
12.	पीलीभीत	28
13.	बागपत	29
14.	गाजियाबाद	27
15.	लखीमपुर खीरी	23
16.	बाराबंकी	23
17.	लखनऊ	23
18.	बदायूँ	21
19	बुलन्दशहर	22
20	श्रावस्ती	31

21.	सम्भल	46 (अनुमानित)
22	हापुड़	32
23	शामली	29 (अनुमानित)
24	सीतापुर	20
25	अलीगढ़	20
26	गोण्डा	20
27	सन्तकबीरनगर	24

2. विभाग के उद्देश्य

1. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में शिक्षा,स्वास्थ्य,पेयजल तथा कौशल विकास से जुड़ी सुविधाओं का सृजन कर इन क्षेत्रों के निवासियों हेतु विकास के अवसर सृजित करना।

2. अल्पसंख्यकों में स्कूल छोड़ देने (ड्राप–आउट) की प्रवृत्ति नियंत्रित करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के समान छात्रवृत्ति वितरित कर शिक्षा का प्रसार करना।

3. मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण कर उनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी का पठन–पाठन भी कराना, ताकि इनसे पढ़कर निकले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राएं कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहभागिता कर सकें।

4. मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा, व कम्प्यूटर शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करना, जिससे कि इन परम्परागत शिक्षण संस्थाओं से शिक्षण प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चे राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

5. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में बालिकाओं की शिक्षा के स्तर में सुधार के लिये बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रावासों का निर्माण।

6. वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास कर उनसे होने वाली आय को बढ़ाना ताकि वक़्फ़ वाकिफ की इच्छानुसार परोपकारी (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक) संस्थाओं के रूप में प्रभावी योगदान कर सकें।

7. मातृ/शिशु तथा वृद्धों से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं की अल्पसंख्यकों में पहुंच बढ़ाना।

8. निजी/अर्द्धसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के सेवा योजन की स्थिति में सुधार हेतु चलाई जा रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराना।

9. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु ऋण दिलाने के लिये मार्जिन मनी उपलब्ध कराना, टर्मलोन देना तथा मेधावी छात्रों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा के लिये ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराना।

राज्य के विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर्याप्त रूप से बनी रहे एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने तथा क्रियान्वयन में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों तथा राज्य सरकार की मंशा का पूर्ण रूप से समावेश होता रहे, इस आशय से यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न विभागों की राज्य स्तरीय समितियों,जो योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिये गठित की गई हो, में सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर विभिन्न विभागों में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से सम्बन्धित समितियों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा।

3. संगठनात्मक व्यवस्था

प्रशासनिक इकाइयाँ

विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का क्रियान्वयन, संचालन एवं समन्वय विभाग के निम्नलिखित अंगो द्वारा किया जाता है :–

1. सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़।
2. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण।
3. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड।
4. उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड।
5. उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति।
6. उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़।
7. उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक़्फ़।
8. उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग।
9. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद,।
10. वसीका कार्यालय, लखनऊ।
11. उ0प्र0 वक्फ् न्यायाधिकरण।

4. अधीनस्थ विभागों के कार्यकलाप

4.1 सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़

उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम–1960 के अंतर्गत सर्वे कमिश्नर वक्फ संगठन की स्थापना वर्ष 1976 में की गयी । इस संगठन का प्रमुख कार्य अपंजीकृत तथा

नवसृजित अवकाफ का पता लगाकर उनके पंजीकरण हेतु सर्वे रिपोर्ट सुन्नी/शिया वक्फ बोर्ड को उपलब्ध कराना है।

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0शासन को पदेन सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0, निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 को पदेन अपर सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0, प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को अपर सर्वेक्षण आयुक्त वक्फ, प्रदेश के उप जिलाधिकारियों को सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ तथा समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को सहायक सर्वे कमिश्नर वक़्फ़ घोषित किया गया है। मुख्यालय में एक उपायुक्त व एक सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ, एक प्रशासनिक अधिकारी, तृतीय श्रेणी के 14 एवं चतुर्थ श्रेणी के 04 तथा जनपदीय कार्यालयों हेतु मुख्य वक्फ निरीक्षक के 37, वक्फ निरीक्षक के 34, वरिष्ठ सहायक के 70, कनिष्ठ सहायक के 70 एवं चतुर्थ श्रेणी के 70 पद सृजित है।

उत्तर प्रदेश में स्थित वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण पूर्व में मुस्लिम वक्फ अधिनियम–1960 के अंतर्गत वर्ष 1976 से 1986 के मध्य कराया गया था, जिसमें 1,08,069 सुन्नी अवकाफ तथा 3,358 शिया अवकाफ कुल 1,11,427 अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियॉ प्रकाश में आयी थी।

शासनादेश संख्या–573/52–2–2014–2(288)/2013 दिनांक 16.04.2014 द्वारा वक़्फ़ अधिनियम–1995 (वक्फ अधिनियम–2013 यथा संशोधित) के प्राविधानों के अंतर्गत प्रदेश में स्थित वक़्फ़ सम्पत्तियों के पूर्ववर्ती सर्वेक्षण के उपरांत 10 वर्ष से अधिक की अवधि पूर्ण हो जाने के दृष्टिगत नव सृजित/अपंजीकृत वक्फ सम्पत्तियों का पश्चातवर्ती सर्वेक्षण के कार्यवाही की जा रही है।

4.2 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय

निदेशालय तथा इसके अधीनस्थ क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों का गठन वर्ष 1995–96 में किया गया है। निदेशालय स्तर पर निदेशक का एक पद, संयुक्त निदेशक का पॉच पद तथा वित्त एवं लेखाधिकारी का एक पद सृजित है। प्रदेश के 13 मण्डलों में मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों तथा प्रदेश के 75 जनपदों में से 75 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के पद सृजित हैं ।

निदेशालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के साथ–साथ प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति योजना,पुत्री के विवाह हेतु अनुदान तथा अरबी, फारसी मदरसों से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जाता है।

4.3 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु भारत सरकार के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम का गठन 17 नवम्बर, 1984 को कम्पनी के रूप में किया गया। निगम की अधिकृत पूंजी रू0 30.00 करोड़ है। इसका रजिस्टर्ड कार्यालय सातवां तल, जवाहर भवन, लखनऊ है। जिला स्तर पर जिला

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निगम के पदेन जिला प्रबन्धक के रूप में कार्य करते हैं। निगम द्वारा टर्मलोन योजना अपनी अंशपूंजी तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण से संचालित की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल सुधार योजना तथा परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना शासन से प्राप्त अनुदान से चलाई जाती है। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जाती है।

4.4 उत्तर प्रदेश वक़्फ़ विकास निगम लिमिटेड

प्रदेश में अवकाफ की सुरक्षा एवं विकास तथा उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 वक्फ़ विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 27 अप्रैल, 1987 को रूपया पांच करोड़ की अधिकृत अंशपूंजी से की गई थी। वर्तमान में निगम की अंश पूॅजी रू0 10.00 करोड़ है। निगम के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. अवकाफ के विकास हेतु उनकी सम्पत्तियों पर व्यावसायिक एवं आवासीय केन्द्रों, दुकानों, कार्यालयों, होटलों, छात्रावासों तथा विद्यालयों का निर्माण।

2. अवकाफ की आय बढ़ाने के उद्देश्य से उन पर व्यावसायिक/औद्योगिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।

3. मस्जिदों, दरगाहों, इमामबाड़ों तथा ईदगाहों आदि का विकास, अनुरक्षण एवं मरम्मत।

4. वक़्फ़ की ओर से मुसाफिरखानों, होटलों, पुस्तकालयों, स्कूलों आदि की स्थापना कराना।

5. वक़्फ़ संस्थाओं, मुतवल्लियों तथा वक़्फ़ के लाभ–गृहीताओं को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता प्रदान करना,तकनीकी एवं शोध प्रयोगशालाएं स्थापित करना।

6. दरगाहों तथा मुस्लिम तीर्थ यात्रियों एवं जायरीन को विश्राम गृह तथा अन्य सुविधायें प्रदान करना और ईदगाहों के वार्षिक उर्स का प्रबन्ध करना।

7. आवासीय सहकारी,उपभोक्ता सहकारी,औद्योगिक सहकारी एवं कृषक सहकारी संस्थाओं को स्थापित करने में मुतवल्लियों एवं वक्फ़ के लाभ–गृहीताओं को सहायता प्रदान करना।

8. वक़्फ़ संस्थाओं के लिये सर्वेक्षक, ठेकेदार एवं परामर्शदाता के रूप में कार्य करना।

4.5 उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

प्रदेश के मुस्लिम समुदाय की पारम्परिक हज यात्रा को सुविधाजनक ढंग से सम्पन्न कराने के लिये द हज कमेटी एक्ट 2002 के अर्न्तगत उ0प्र0 राज्य हज समिति विधिवत रुप से गठित है।

4.6 उत्तर प्रदेश सुन्नी सेन्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम 1995 के अर्न्तगत उ0प्र0 सुन्नी सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। वर्तमान बोर्ड का गठन अधिसूचना संख्या 1309/52–2–09–639/83 टी0सी0–1 दिनांक 30–10–09 द्वारा किया गया था।

वक़्फ़ बोर्ड के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :–

1. अवकाफ का पंजीकरण करना।
2. मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति की नियुक्ति एवं उन्हे हटाने सम्बन्धी कार्य।
3. अनाधिकृत रूप से अध्यासित/विक्रय की गई वक़्फ़ सम्पत्ति का कब्जा वापस लेना।
4. वक़्फ़ सम्पत्तियों से सम्बन्धित मुकदमों की पैरवी।
5. वक़्फ़ विकास निगम की सहायता से वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास। बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत अवकाफ की आय से प्राप्त होने वाला अंशदान है।

4.7 उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड

वक़्फ़ अधिनियम–1995 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश शिया सेण्ट्रल वक़्फ़ बोर्ड का गठन वर्ष 1999 में किया गया। शिया वक्फ बोर्ड के निर्वाचन हेतु दिनांक 21 मई 2014 द्वारा अधिसूचना निर्गत की गयी है।

4.8 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग

उ0प्र0 प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1994 द्वारा प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन करके समय–समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया।

4.9 वसीका कार्यालय हुसैनाबाद, लखनऊ

ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के माध्यम से अवध के तत्कालीन शासकों से चल/अचल सम्पत्ति के रूप में कुछ धनराशि अनुबन्ध पत्र पर ऋण स्वरूप प्राप्त की थी। अनुबन्ध के अनुसार उक्त ऋण पर ब्याज की धनराशि को ऋणदाताओं द्वारा इंगित उनके उत्तराधिकारियों/ सेवकों को पीढ़ी दर पीढ़ी वसीका के रूप में अदा की जाती है। वसीका वितरण हेतु वसीका कार्यालय स्थापित है जो पूर्व में भारत सरकार के नियन्त्रण में था। वर्ष 1957 से यह कार्यालय उत्तर प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में आ गया।

वर्ष 1995–96 में उ0प्र0 सरकार में पृथक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का गठन होने के बाद इसे इस विभाग के अधीन कर दिया गया। वसीका कार्यालय द्वारा आठ प्रकार के वसीकों, 11 प्रकार के राजनीतिक पेन्शनों तथा 13 प्रकार के अमानती नोट पर ब्याज के भुगतान किये जाने के साथ–साथ काला इमामबाड़ा तथा मिर्जा अली खां के मकबरे के नियन्त्रण/देखरेख का कार्य भी किया जाता है।

4.10 उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश

प्रदेश के मान्यता प्राप्त अनुदानित/गैर अनुदानित अरबी तथाा फरसी मदरसों के निरीक्षण एवं उसके प्रशासनिक कार्यों की देख–रेख के लिए निरीक्षक तथा अरबी–फारसी मदरसों की मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल तथा फाजिल परीक्षाओं के लिए पदेन रजिस्ट्रार, अरबी–फारसी परीक्षाएं, उत्तर प्रदेश भी है।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद में एक रजिस्ट्रार/निरीक्षक, दो उप रजिस्ट्रार, एक सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, एक प्रशासनिक अधिकारी, छः वरिष्ठ सहायक, दो आशुलिपिक नौ कनिष्ठ सहायक, एक सह स्टोर कीपर, दो टंकक, एक दफ्तरी तथा सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत है। वर्तमान में तहतानिया,फौकानिया एवं आलिया स्तर के प्रदेश में कुल 8573 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं,जिसमें से 560 अरबी फारसी मदरसों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान पर लिया गया है।

प्रदेश के समस्त मदरसों के उन्नयन, पारदर्शिता, प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मदरसा वेब पोर्टल http://madarsaboard.upsdc.gov.in लान्च किया गया है। वर्तमान में 560 अरबी–फारसी मदरसे राज्य सरकार की अनुदान सूची पर हैं। प्रदेश शासन द्वारा उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की मुन्शी तथा मौलवी को राजकीय सेवाओं के प्रयोजनार्थ हाईस्कूल तथा आलिम परीक्षा को इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्यता का स्वरूप प्रदान किया गया है। माहात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा कामिल व फाजिल परीक्षा को क्रमशः स्नातक तथा स्नातकोत्तर (उर्दू) के बराबर समकक्षता प्रदान की गयी है।

शैक्षिक सत्र वर्ष 2020 की परीक्षाएं माह फरवरी 2020 में मदरसा पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न करायी जायेंगी। परीक्षा वर्ष 2020 की सारी प्रक्रियाये ऑनलाईन करायी जायेंगीं। मदरसों का पोर्टल पर पंजीकरण तथा परीक्षर्थियों के परीक्षा फार्म भरे जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। परीक्षा वर्ष 2020 की परीक्षा सम्पन्न कराने के पश्चात 2020 में परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात अंकपत्र सह सनद सम्बन्धित मदरसों को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्राप्त करा दी जायेगी।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा मिनी आई0टी0आई0 परीक्षा समम्न्न करयी जाती है, जिसमे प्रत्येक वर्ष लगभग 5,000 प्रशिक्षाणार्थी सम्मिलित होते है। वर्ष 2018 की मिनी आई0टी0आई0 की परीक्षा सम्पन्न करायी जा चुकी है तथा मिनी आई0टी0आई0 की परीक्षा वर्ष 2019 के आवेदन पत्र पोर्टल के माध्यम से भरे जा चुके है,जिसकी परीक्षा माह मार्च 2020 में सम्पन्न करायी जायेगी।

प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त अरबी–फारसी मदरसों की विभिन्न जनपदों में जिला कल्याण अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त मान्यात आवेदन पत्र मान्यता प्रदान किये जाने की सकारात्मक प्रगति के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 2029/652–3–2016–सा0(5)2014 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार समस्त मान्यता उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद कार्यालय से प्रदान कियो जाने के आदेश

निर्गत किये गये है। मान्यता प्राप्त प्रस्तावों पर परिषद द्वारा गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार मान्यता प्रमाण पत्र परिषद कार्यालय द्वारा जारी किये जाते है।

राज्य में उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद की स्थापना और उससे सम्बन्धित या अनुसंगिक विषयों की व्यवस्था हेतु उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद अध्यादेश 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–1 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया है।

4.11–उ0प्र0 वक्फ् न्यायाधिकरण

प्रदेश में स्थित वक्फ् सम्पत्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–360/52–2–14–2(279)–13 दिनांक 03.03.2014 के माध्यम से उ0प्र0 वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ का गठन किया गया है। उक्त न्यायाधिकरण में शासन द्वारा एक अध्यक्ष, दो सदस्य व रजिस्ट्रार की नियुक्तियॉ की गयी हैं। न्यायाधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य, व्ययों की पूर्ति हेतु शासन द्वारा धनराशि निर्गत की जाती है।

5. विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम

5.1 निदेशालय द्वारा संचालित योजनायें

छात्रवृत्ति योजना

5.1.1 पूर्वदशम छात्रवृत्ति

पूर्वदशम् कक्षाओं ;कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश सं0 1611/52–3–2018–14(2) /2015 दिनांक 29–09–2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं ,द्वारा ऑनलाईन आवेदन की व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.50 लाख है, को अधिकतम रू0 3000/–वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में रू0 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु0 1053.00लाख अर्थात् कुल रू0 3565.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत रु0 2000.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रू0 1000 लाख अर्थात् कुल रु0 3000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.1.2 दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना–

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र /छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उददेश्य से योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश सं0 1914 /52–3–2018–सा (13) /2017 दिनांक 16–10–2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे। पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गो (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिन्हीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष

के परीक्षा परिणाम/अंकों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा निर्धारित अधिकतम वार्षिक दरों (जो भी कम हो) के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित निर्धारित मासिक दरों पर तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु समूह–1 के अन्तर्गत अधिकतम रू0 50,000/– तथा समूह 2 के लिए अधिकतम् रू0 30,000/, समूह 3 के लिए अधिकतम् रू0 20,000/ एवं समूह 4 के लिए अधिकतम् रू0 10,000/, के अन्तर्गत अधिकतम शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है। जिसे पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है।

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवाछात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह–1	रू0 550/–	रू0 1200/–
समूह–2	रू0 530/–	रू0 820/–
समूह–3	रू0 300/–	रू0 570/–
समूह–4	रू0 230/–	रू0 380/–

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट में छात्रवृत्ति हेतु रू0 14867.00 लाख तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रू0 15,000.00 लाख की बजट व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु रु0 19000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.1.3अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम् दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रू0 20,000/ की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019–2020 में योजनान्तर्गत रू0 7400.00 लाख का बजट में प्राविधान के सापेक्ष 37000 पात्र आवेदकों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य रख गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत में रू0 5000.00 लाख धनराशि का बजट में प्राविधान है।

5.1.4 मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005–06 से शासनादेश संख्या 2997/52–3 –2005–सा0(2)/2005 दिनांक 10 फरवरी, 2006 के अनुसार जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रू0 15000/– प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थीं को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में 100 छात्र/छात्राओं पर रू0 15.00 लाख की धनराशि की व्यवस्था किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के लिये बजट में रू0 15.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है।

5.1.5 अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिये जाने की योजना

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद स्थापित है। प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती है।

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये समय–समय पर आलिया स्तर के मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 560 अरबी फारसी मदरसों को शासकीय अनुदान दिया जा रहा है। वेतन का भुगतान सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में में वेतन भुगतान हेतु रू0 84419.00 लाख लाख प्राविधान के सापेक्ष माह जनवरी 2020 तक रू0 65719.99 लाख का व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2020–2021 में कुल 560 मदरसों हेतु राजस्व पक्ष में वेतन भुगतान हेतु रू0 81757.28 लाख का प्राविधान किया गया है।

5.1.6 अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना

अनुदानित मदरसों में एन0सी0आर0टी0 की पुस्तकें,विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण, अनुषंगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तो एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019–2020 में रू0 1400.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 1400.00 लाख का निर्गत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–2021 में रू0 1400.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

5.1.7 प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए वोकेशलन ट्रेनिंग स्कीम (मिनी आई0टी0आई0) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध–तन्त्र को परम्परागत शिक्षा के साथ–साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरूचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकार ने प्रथम् बार वर्ष 2003–2004 के बजट में रू0 285.60 लाख की वित्तीय सहायता दी थी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मदरसों को तीन ट्रेडों पर आधारित मिनी आई0टी0आई0 की स्थापना के लिये तीन इन्स्ट्रक्टर, एक लैब असिस्टेण्ट तथा एक अनुचर के लिये राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता था। इस योजना के अर्न्तगत सम्बन्धित ट्रेडो

की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण–पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिये अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर चयन समिति बनायी गयी है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिलता है।

वर्ष 2013–14 में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–562/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 30 अगस्त 2013 एवं शासनादेश संख्या 1589/52–3–2013–सा(2)/08 दिनांक 20 सितम्बर 2013 के क्रम में निदेशालय के आदेश संख्या 4236/अ0स0क0नि0/म0प0म0मि0आई0टी0आई0/2014 दिनांक 25 जनवरी 2014 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं में कार्यरत उक्त कार्मिकों के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता रखने वाले कार्मिक को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम् तथा राज्य कर्मचारियों को समय–समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि तथा अन्यथा की स्थिति में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय की दरों को दो गुना कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में कुल 140 मदरसों में से वर्तमान में संचालित 124 में नियुक्त तीन–तीन अनुदेशक, एक–एक प्रयोगशाला सहायक तथा एक–एक अनुचर के वेतन/मानदेय के भुगतान पर माह जनवरी 2020 तक रू0 1152.45 लाख की धनराशि व्यय की गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 में रू0 2117.31 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

5.1.8 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना–

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा की भॉति मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकानिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है ।

राज्य पुरस्कार हेतु चयनित अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को रू0 10,000/– नकद पुरस्कार, चॉदी का पदक तथा शाल प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019–20 में योजना के लिए रू0 7.25 लाख की व्यवस्था है।

वर्ष 2020–21 में योजना के लिए रू0 7.25 लाख का प्राविधान कराया गया है।

5.1.9 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय हब की स्थापना

वर्ष 2014–15 से प्रारम्भ की गयी है। योजना प्रदेश में सबसे अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 20 जनपदों में लागू की जानी है। चयनित जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। योजना के लिये माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का मॉडल लिया गया है। स्थानीय औचित्य तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रावास के भी स्थापना की व्यवस्था है।प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज के मानक केन्द्रीय विद्यालय के होंगे। मॉडल इण्टर कालेज का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा तथा आवर्ती व्यय का वहन और संचालन उन्हीं के द्वारा किया जायेगा। वर्ष 2019–20 में योजना के लिए रू0 2473.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। 13 जनपदों के 23 मॉडल इण्टर कालेज के निर्माण के लिए द्वितीय किश्त की धनराशि निर्गत की गयी है निर्माण कार्य चल रहा है।

वर्ष 2020–21 में योजना के लिए रू0 1.00 लाख का सांकेतिक प्राविधान कराया गया है।

5.2 केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाएं

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में सघन क्षेत्र विकास योजना के अर्न्तगत केन्द्र सरकार द्वारा कई योजनाओं में शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में संचालित योजनायें निम्नवत् हैं:–

5.2.1 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण/ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये भारत सरकार की शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता से यह योजना वर्ष 1993 से चलायी जा रही है।

अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012–13 में संस्थाओं में 5 छात्रावासों तथा 67 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम् किश्त के रूप में रू0 1364.53 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के बाद वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 29.46 लाख की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हुई थी चालू वित्तीय वर्ष में काई भी धनराशि भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में छात्रावास निर्माण हेतु रू0 340.58 लाख एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु रू0 340.58 लाख का बजट प्राविधान कराया गया है।

5.2.2 अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

इस योजनान्तर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना शतप्रतिशत केन्द्रपुरोनिधानित है। योजना के अर्न्तगत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिये भारत सरकार की गाइड लाइंस दिनांक 01–12–2008 के

अनुसार स्नातक शिक्षक को रू0 6,000/ प्रतिमाह तथा परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को रू0 12,000/प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रू0 50,000/,विज्ञान एवं गणित किट हेतु रू0 15,000/, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रू0 1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना में कार्यरत शिक्षकों में से स्नातक शिक्षकों का मानदेय रू0 8000/ तथा परास्नातक तथा परास्नातक के साथ बी.एड.शिक्षकों का मानदेय रू 15000/ करने तथा अतिरिक्त बढ़ी हुयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय किया गया था तथा भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत 60:40 का फन्डिगं पैटर्न अर्थात 60 प्रतिशत केन्द्रांश व 40 प्रतिशत राज्यांश लागू कर दिया गया है तथा राज्य सरकार द्वारा भी शासनादेश जारी कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानदेय के रूप में कुल रू0 47907.47 लाख का बजट में व्यवस्था कराई गई है।

5.2.3.भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रदेश में लागू की गई है जो शत्प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रू0 2.50 लाख है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हों, तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।

पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति एवं पाठ्यक्रम शुल्क प्रदान प्रदान किया जाता है–

निर्धारित दरें :

नोट :

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
स्नातक स्तर के तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु	रू0 500/– प्रति माह (रू0 5000/–वार्षिक अधिकतम)	रू0 1000/– प्रति माह (रू0 10. 000/–वार्षिक अधिकतम)
पाठ्यक्रम शुल्क	रू0 20. 000/–वार्षिक	रू0 20. 000/–वार्षिक

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रशासनिक व्यय के मद में रू0 322.65 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था है।

नोटः– योजनान्तर्गत चिन्हित 85 संस्थानों के पात्र एवं चयनित छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क देय होगा, चाहे वह निर्धारित वार्षिक शुल्क रू0 20,000/– से कम अथवा अधिक हो।

इस योजना के अर्न्तगत छात्रावासीय छात्रों को रू0 10000/– एवं दिवा छात्रों हेतु रू0 5000/– वार्षिक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

5.2.4–भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या जी0आई0 25/52–1–2007–01 (140)/07 दिनांक 02 जनवरी, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना शत्प्रतिशत केन्द पुरोनिधानित योजना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 किये जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों अर्ह माने जायेंगे। पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति, एडमिशन एवं ट्यूशन फीस प्रदान की जाती है–

निर्धारित दरें :

श्रेणी	कक्षा का स्तर	दर (प्रति माह)	
		दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह–1	स्तानक/स्नात्कोत्तर स्तर के व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम	–	–
समूह–2	एम0फिल/पी0एच0डी0	रू0 550/–	रू0 1200/–
समूह–3	स्तानक/स्नात्कोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	रू0 300/–	रू0 570/–
समूह–4	कक्षा 11–12 एवं समकक्ष तकनीकी पाठ्यक्रम	रू0 230/–	रू0 380/–

नोट :

इस योजना के अर्न्तगत पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में छात्रों को कक्षा 11 तथा 12 हेतु रू0 7000/– एवं व्यावसायिक एवं तकनीकी हेतु रू0 10000/– वार्षिक तथा अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्क्रमों हेतु रू0 3000/– वार्षिक संस्था के खाते में दिये जाने की व्यवस्था है तथा छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।

इस योजना के अन्तर्गत वह सभी 80 पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं है जो भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट–कम–मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत प्रशासनिक व्यय के मद में रू0 503.92 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान कराया गया है।

5.2.5–भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या जी0आई0 43/52–1–2008–01 (137)/2007 दिनांक 29 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 तक 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश आधारित केन्द्रपुरोनिधानित योजना थी। वित्तीय वर्ष 2014–15 से भारत सरकार द्वारा यह योजना शत्प्रतिशत केन्द्रपोषित कर दी गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रू0 1.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (लेकिन कक्षा 1 के छात्र/छात्राओं हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के स्थान पर उनके अभिभावक की वार्षिक आय ही आधार होगी) अर्ह माने जायेंगे। पात्र एवं चयनित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित मासिक दर से छात्रवृत्ति एवं एडमिशन एवं ट्यूशन फीस प्रदान की जाती है–

निर्धारित दरें :

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवा छात्र	छात्रावासीय छात्र
कक्षा 1 से 5	रू0 100/–	–
कक्षा 6 से 10	रू0 100/–	रू0 600/–

नोट :

इस योजना के अन्तर्गत एडमिशन फीस के रूप में रू0 500/– वार्षिक एवं ट्यूशन फीस के रूप में रू0 350/–प्रतिमाह (अधिकतम रू0 3500/– वार्षिक) अधिकतम कोर्स फीस के रूप में तथा मेन्टेनेन्स के रूप में 1000/– वार्षिक अर्थात छात्रवृत्ति के रूप में कुल रू0 5000/– अधिकतम धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों मे दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में योजना के अर्न्तगत रू0 60000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान कराया गया है।

5.2.6 भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री–कोचिंग एण्ड एलाइड योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007–08 में शासनादेश संख्या जी0आई0 09/52–1–2007–1(12)/07 दिनांक 30 अगस्त, 2007 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा रोजगार सम्बन्धी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार चयनित संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा सीधे सहायता दी जाती है।

5.2.7–प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेंन्ट प्लान)

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008–09 में शासनादेश संख्या 05/52–1–2009–1(91)/07 टी0सी0–11 दिनांक 02 जनवरी 2008 ,द्वारा एम0एस0डी0पी0 के नाम से 21 जनपदों में लागू की गयी। वर्तमान में प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से यह योजना प्रदेश के 47 जनपदों के 145 विकास खण्डों तथा 89 नगर पंचायत/नगर पालिका एवं 15 जिला मुख्यालयों में लागू है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अन्तर को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रयत्नशील है। कार्यक्रम के अंतर्गत अब शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। यह प्रयास है कि परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करके क्रियाशील बनाया जाय जिससे जन सामान्य को इसका लाभ मिल सके। नियमित रूप से गहन समीक्षा के फलस्वरूप दिसम्बर 2018 तक 84 इण्टर कालेजों, 4 पॉलीटेक्निक, 29 आई टी आई, 19 प्राइमरी स्कूल, 21 हॉस्टल, 745 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप केन्द्रों, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 37 होम्योपैथिक/यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9762 आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित 38 टैंक टाइप स्टैन्ड पोस्ट तथा 51 पेयजल परियोजनाओं का

निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। सामाजिक समरसता और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 30 सद्भाव मंडपों का निर्माण कराया जा रहा है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत मद में रू0 65400.00 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रू0 6845.00लाख अर्थात कुल रू0 72245.00 लाख की धनराशि के बजट में प्राविधान के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा रू0 11668.31 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी । इस धनराशि से मुख्यतः पालिटेक्निक, आई0टी0आई0 , इण्टर कालेज, छात्रावास, पाइप पेयजल परियोजना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय,यूनानी मेडिकल कालेज, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, आगनबाड़ी केन्द्र एवं हैन्ड पम्प की स्थापना की जा रही है। 12वी पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत कौशल विकास के लिए निर्धारित है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत मद में रू0 69830.65 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रू0 8510.00 लाख अर्थात कुल रू0 78340.65 लाख की धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है।

5.3 उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनायें

5.3.1 व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, वैल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल्स, रैफ्रीजरेशन एयरकण्डीशनिंग एवं फैशन डिजाइनिंग आदि अनेक उपयोगी व्यवसायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को निगम के टर्मलोन/मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उन्हें स्वतः रोजगार में स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

5.3.2 परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यावसायिक कोर्सों तथा नौकरियों के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इस वर्ग के प्रतियोगियों को तैयार करने हेतु निगम द्वारा कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिये वही अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके अभिभावकों की आय रूपये 1.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो। व्यवसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा, उ0प्र0 बोर्ड से कम से कम 55 प्रतिशत अथवा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से कम से कम 65 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण की हो।

5.3.3 अधिकारिता तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान

निगम द्वारा एक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, डालीगंज स्थित खन्ना मिल कम्पाउण्ड लखनऊ में संचालित किया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण संस्थान में 5 विभिन्न ट्रेडों में (इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रानिक, वेल्डिंग, ए0सी0 एवं रेफ्रीजरेशन तथा फैशन डिजाइनिंग) निगम के पूर्णकालिक प्रशिक्षित अनुदेशकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। छः माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक ट्रेड में 20–20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु चलाया जाता है। प्रशिक्षण के पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को पात्रता के आधार पर निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण भी प्रदान किया जाता है।

5.4 उत्तर प्रदेश वक्फ् विकास निगम की योजनायें

5.4.1 वक्फ् सम्पत्तियों का विकास

वक्फ़ विकास निगम का मुख्य कार्य वक्फ सम्पत्तियों का विकास करना है। निगम द्वारा सर्वे कमिश्नर, वक्फ्/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जिला स्तरीय कार्यालयों के सहयोग से विकास हेतु वक्फ सम्पत्तियों का चयन किया जाता है। चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सम्पत्ति वक्फ बोर्ड में पंजीकृत हो, उसके स्वामित्व का कोई विवाद न हो, उस पर पहले से कोई कर्ज न हो। प्रस्तावित योजना की आराजी पर स्थित धार्मिक भवनों/कब्रों को क्षति पहुंचने की सम्भावना न हो। आराजी पर अनाधिकृत कब्जा न हो तथा योजना पर व्यय की गयी धनराशि को विकसित की गयी सम्पत्ति की आय से सर्विस एवं सुपरविजन चार्ज सहित निर्धारित अवधि में वापस लिया जाना सम्भव हो।

निगम द्वारा वक़्फ़ भूमि को पट्टे पर लेकर उस पर निर्माण कार्य कराया जाता है तथा विकसित योजना की आय के 70 प्रतिशत भाग से निगम द्वारा निवेशित धनराशि मय 12.50 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज (योजना की लागत पर एक बार) एवं 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है तथा आय का शेष 30 प्रतिशत भाग वक़्फ़ की आवश्यकता एवं उसकी बेहतरी के लिये छोड़ दिया जाता है।

वक्फ़ परियोजनाओं के निर्माण कार्य की देख रेख के लिये जिला स्तर पर एक निर्माण समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों का प्रतिनिधित्व होता है। निगम की धनराशि की वापसी का दायित्व भी इसी समिति का होता है तथा धनराशि की वापसी के पश्चात् उक्त निर्माण समिति भंग कर दी जाती है एवं विकसित की गई सम्पत्ति वक़्फ़ की प्रबन्ध समिति को वापस कर दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–2019 तक रू0 694.53 लाख की धनराशि निवेशित कर प्रदेश में स्थित 117 वक़्फ़ परियोजनाओं पर 1230 दुकानें, 05 मैरिज हाल, 04 गेस्ट हाउस तथा 23 आवासीय सेट आदि का निर्माण कराया गया है, जिसके फलस्वरूप वक़्फ सम्पत्तियों को रू0 70.00 लाख की अतिरिक्त वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

5.4.2 निर्माण एजेन्सी के रुप में कार्य

उ0प्र0 वक़्फ़ विकास निगम लि0 द्वारा वक्फ़ सम्पत्तियों के विकास के साथ–साथ विभागीय निर्माण एजेन्सी के रूप में डिपाजिट वर्क का कार्य भी किया जाता है। इसी के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ़ विभाग द्वारा प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1458/52–1–2018(सामान्य)/2018 दिनांक 24 सितम्बर 2018 द्वारा निर्माण कार्य का 25 प्रतिशत कार्य दिये जाने की व्यवस्था स्थापित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 1413.91 लाख, वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 4231.16 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 4388.06 लाख का कार्य आवंटित किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में रू0 27282.22 लाख की विभिन्न परियोजनाओं का कार्य निगम को आवंटित होने की प्रक्रिया में है । निर्माण कार्यों से निगम को 12.50 प्रतिशत की दर से सेन्टेज के रूप में आय प्राप्त होती है, जिससे निगम के अधिष्ठान एवं प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाती है ।

5.5 उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति द्वारा हज यात्रियों के लिये व्यवस्थाः–

5.5.1 उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्था :–

प्रदेश हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ0प्र0 राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

बर्ष 2019 में उ0प्र0 से 31782 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2020 में लगभग 32000 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है जिन्हे हज यात्रा पर भेजा जायेगा।

वर्ष 2019–20 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए मानक मद संख्या–31–सहायक अनुदान–सामान्य(वेतन) मद में 53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) तथा मद संख्या–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) के लिये कुल रू0 313.67 लाख का प्राविधान कराया गया ।

वर्ष 2020–21 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए मानक मद संख्या–31–सहायक अनुदान–सामान्य (वेतन),संख्या–20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन) मद में कुल रू0 309.00 लाख का प्राविधान कराया गया है।

परिशिष्ट–1

अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में

सृजित पदों का विवरण

क्रम सं0	पद	सृजित पदों की संख्या			
		वर्ष 2015–2016 के अन्त में	वर्ष 2016–2017 के अन्त में	वर्ष 2017–2018 के अन्त में	वर्ष 2018–2019 के अन्त तक
1	2	3	4	5	6
(क)	**निदेशालय स्तर पर**				
1	निदेशक	1	1	1	1
2	संयुक्त निदेशक	5	5	5	5
3	उप निदेशक	0	0	0	0
4	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	1	1
5	सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी	0	0	2	2
6	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	1	1	1	1
7	कम्प्यूटर आपरेटर	1	1	1	1
8	प्रशासनिक अधिकारी	1	1	1	1
9	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	1	1	1	1
10	लेखा परीक्षक	2	2	2	2
11	लेखाकार	1	1	1	1
12	सहायक लेखाकार	2	2	2	2
13	आशुलिपिक	4	4	4	4
14	वरिष्ठ सहायक	2	2	2	2
15	कनिष्ठ सहायक	4	4	4	4
16	चालक	2	2	2	2
17	चपरासी	8	8	8	8
(ख)	**मण्डल स्तर पर**				
1	मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/उप निदेशक	13	13	13	13
2	वरिष्ठ सहायक	7	7	7	7
3	कनिष्ठ सहायक	7	7	7	7
4	चालक	7	7	7	7
5	चपरासी	7	7	7	7
(ग)	**जिला स्तर पर**				
1	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	71	75	75	75
2	लेखाकार	.....	.....	60.	60
3	सहायक लेखाकार	.....	.....	20	20
4	वरिष्ठ सहायक	75	75	75	75
5	कनिष्ठ सहायक	71	71	71	71
6	चालक	25	25	25	25
7	चपरासी	64	64	64	64

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग का संगठनात्मक ढ़ॉचा

मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

प्रमुख सचिव/सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

- प्रबन्ध निदेशक वक्फ़ विकास निगम
  - महाप्रबन्धक
    सहा0 महाप्रबन्धक
    सहायक अभियन्ता
  - मुख्यालय स्तर
  - जिला स्तर — परियोजना प्रबन्धक (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)
- सचिव राज्य हज समिति
- सर्वे आयुक्त वक्फ़ (सचिव अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ)
  - अपर सर्वे आयुक्त (जिलाधिकारी तथा निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण)
    - सर्वे उपायुक्त वक्फ़ (मुख्यालय)
      सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ़ (मुख्यालय)
      (प्रशासनिक अधिकारी)
      (मुख्यालय)
      सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ़ (परगनाधिकारी तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)
- निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
  - निरीक्षक/रजिस्ट्रार अरबी फारसी मदरसा
  - निदेशालय स्तर
    - संयुक्त निदेशक (5)
    - वित्त एवं लेखाधिकारी (1)
    - सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी (2)
  - मण्डल स्तर 13 मण्डलों हेतु — उपनिदेशक/मण्डलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
  - जिला स्तर 75 जिलों हेतु — जिला अल्पसंख्यक कलयाण अधिकारी
- वसीका अधिकारी
- सुन्नी सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ़
  - मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पदेन संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय)
- शिया सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ
  - मुख्य कार्यपालक अधिकारी (पदेन संयुक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय)
- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  - मुख्यालय
    - महाप्रबन्धक (प्रशासन)
    - महाप्रबन्धक (वित्त)
  - जिला स्तर–जिला प्रबन्धक (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी)
- उ0प्र0 वक्फ़ न्यायाधिकरण
  - अध्यक्ष, वक्फ न्यायाधिकरण, लखनऊ

परिशिष्ट–3

6.1 – वित्तीय आवश्यकताओं का कार्यक्रमवार वर्गीकरण

(धनराशियां लाख रुपयें में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
		2018–2019			2019–2020			2019–2020			2020–2021		
		पूँजीगत	राजस्व	योग	पूँजीगत	राजस्व	योग	पूँजीगत	राजस्व	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	निदेशन तथा प्रशासन		1979.41	1979.41	34.00	2946.04	2946.04	34.00	2946.04	2946.04	34.00	3183.90	3217.90
42	अरबी, फारसी मदरसों												
	से सम्बन्धित योजनायें		76716.14	76716.14		134715.03	134715.03		136915.03	136915.03		134268.31	134268.31
3	अल्पसंख्यक वित्तीय		----------	----------									
	विकास निगम तथा				0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.03	0	0	0
4	वक्फ विकास निगम से		----------	----------									
	सम्बन्धित योजनायें												
5	कब्रिस्तान/ अंत्येष्टि स्थल की चहारदिवारी		----------	----------	10000.00		10000.00	10000.00		10000.00	10000.00		10000.00
5	अल्पसंख्यक समुदाय के		40495.01	40495.01									
	छात्रों हेतु छात्रवृत्ति					101673.57	101673.57		101673.57	101673.57		87841.57	87841.57
	की योजना												
6	केन्द्र पुरोनिधनित	16734.70	1104.95	17839.65	46581.16	4760.00	51341.16	66081.16	6845.00	72926.16	69830.65	8510.00	78340.65
	योजनायें												
7	अन्य	2265.00	1091.08	3356.08	2706.90	1288.44	4029.34	2706.90	1288.44	4029.34	916.06	1342.20	2258.26
	योग	18999.70	121386.59	140386.29	59322.07	245383.10	304705.17	78822.07	249668.10	328490.17	80780.71	235145.98	315926.69

6.2 – वित्तीय आवश्यकताओं का उद्देश्यवार वर्गीकरण

(धनराशियां लाख रूपये में)

क्र0सं0	मद	वास्तविक व्यय			आय –व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
		2018–2019			2019–2020			2019–2020			2020–2021		
		पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01–वेतन		1736.04	1736.04		2176.61	2176.61		2176.61	2176.61		2241.89	2241.89
2	02–मजदूरी		2.31	2.31		6.20	6.20		6.20	6.20		6.20	6.20
3	03–मँहगाई भत्ता		182.30	182.30		326.50	326.50		326.50	326.50		560.48	560.48
4	04–यात्रा भत्ता		7.23	7.23		14.05	14.05		14.05	14.05		16.05	16.05
5	05–स्थानान्तरण यात्रा–व्यय		2.72	2.72		12.20	12.20		12.20	12.20		12.20	12.20
6	06–अन्य भत्ते		107.66	107.66		119.50	119.50		119.50	119.50		28.40	28.40
7	07–मानदेय		55.62	55.62		318.59	318.59		318.59	318.59		20.59	20.59
8	08–कार्यालय–व्यय		39.61	39.61		63.30	63.30		63.30	63.30		63.03	63.03
9	09–विद्युत देय		5.26	5.26		15.15	15.15		15.15	15.15		15.20	15.20
10	11–लेखन सामग्री		29.99	29.99		57.90	57.90		57.90	57.90		57.90	57.90
11	12–कार्यालय फर्नीचर		12.92	12.92		31.50	31.50		31.50	31.50		31.50	31.50
12	13–टेलीफोन पर व्यय		7.84	7.84		16.20	16.20		16.20	16.20		16.20	16.20
13	14–वाहनो का क्रय		13.46	13.46	34.00		34.00	34.00		34.00	34.00		34.00
14	15–वाहनों का अनुरक्षण		35.44	35.44		57.00	57.00		57.00	57.00		57.00	57.00
15	16–व्यावसायिक विशेष		1770.54	1770.54		3818.65	3818.65		5903.65	5903.65		7545.50	7545.50
16	17–किराया,उपशुल्क		3.99	3.99		5.02	5.02		5.02	5.02		5.02	5.02
17	18–प्रकाशन		0.94	0.94		7.05	7.05		7.05	7.05		7.05	7.05
18	20–सहायक अनुदान		14578.32	14578.32		57182.50	57182.50		59182.50	59182.50		56782.48	56782.48
19	21–छात्रवृत्ति/छात्रवेतन		33431.90	33431.90		94258.57	94258.57		94258.57	94258.57		82826.57	82826.57
20	22–आतिथ्य व्यय		0.10	0.10		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
21	24–वृहत् निर्माण	18999.70		18999.70	59288.06		59288.06	78788.06		78788.06	80746.71		80746.71
22	26–मशीनोंऔर सज्जा/उपकरण	--------	---------	----------		2.00	2.00		2.00	2.00		2.00	2.00
23	निवेश/ऋण				0.01		0.01	0.01		0.01	0		
24	31–सहायक अनुदान		65790.25	65790.25		79726.71	79726.71		79726.71	79726.71		82118.20	82118.20
25	32–ब्याज/लाभांश		0.20	0.20		1.80	1.80		1.80	1.80		1.80	1.80
26	33–पेंशन/आनुतोषिक		48.41	48.41		55.00	55.00		255.00	255.00		79.00	79.00
27	42–अन्य व्यय		32.16	32.16		1722.55	1722.55		1722.55	1722.55		1722.55	1722.55
28	44–प्रशिक्षण व्यय	--------	-------	-------		3.25	3.25		3.25	3.25		3.25	3.25
29	45–अवकाश यात्रा–व्यय	--------	0.08	0.08		5.40	5.40		5.40	5.40		5.40	5.40
30	46–कम्प्यूटर हा0सा0 क्रय	--------	7.01	7.01		52.50	52.50		52.50	52.50		52.50	52.50
31	47–कम्प्यूटर स्टेशनरी		14.63	14.63		63.40	63.40		63.40	63.40		63.40	63.40
32	49–चिकित्सा व्यय		12.39	12.39		27.00	27.00		27.00	27.00		42.00	42.00
33	51–वर्दी व्यय		0.58	0.58		4.02	4.02		4.02	4.02		4.12	4.12
34	52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)		112.78	112.78		159.89	159.89		159.89	159.89		13.00	13.00
35	53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(सहायता प्राप्त)		3343.91	3343.91		5071.09	5071.09		5071.09	5071.09		0	0
36	55–मकान किराया भत्ता											122.80	122.80
37	56–नगर प्रतिकर भत्ता											37.70	37.70
38	58–आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान											383.00	383.00
39	59–एकमुश्त नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता/अभिदाता अंशदान पर ब्याज											200.00	200.00
	योग	18999.70	121386.59	140386.29	59322.07	245383.10	304705.17	78822.07	249668.1	328490.17	80780.71	235145.98	315926.69

6 .3 – वित्तीय साधनों के स्रोत

(धनराशियां लाख रुपये में)

क्र0 सं0	अनुदान	मुख्य लेखाशीर्षक	वास्तविक व्यय			आय–व्ययक अनुमान			पुनरीक्षित अनुमान			आय–व्ययक अनुमान		
	संख्या		2018–2019			2019–2020			2019–2020			2020–2021		
			पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग	पूँजीगत पक्ष	राजस्व पक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	48	2049		0.20	0.20		1.80	1.80		1.80	1.80		1.80	1.80
2	48	2070		1979.41	1979.41		2946.04	2946.04		2946.04	2946.04		3183.90	3183.90
3	48	2071		48.21	48.21		55.00	55.00		255.00	255.00		279.00	279.00
4	48	2075		56.66	56.66		66.57	66.57		66.57	66.57		67.00	67.00
5	48	2202		76667.93	76667.93		134660.03	134660.03		136660.03	136660.03		133989.31	133989.31
6	48	2225		40495.01	40495.01		101673.59	101673.59		101673.59	101673.59		87841.57	87841.57
7	48	2235		1104.95	1104.95		4760.00	4760.00		6845.00	6845.00		8510.00	8510.00
8	48	2250		1034.22	1034.22		1220.07	1220.07		1220.07	1220.07		1273.40	1273.40
9	48	4070		0	0	34.00		34.00	34.00		34.00	34.00		34.00
10	48	4202	2265.00		2265.00	3154.16		3154.16	3154.16		3154.16	682.16		682.16
11	48	4225	0		0	0.01		0.01	0.01		0.01			
12	48	4235	16734.70		16734.70	55900.00		55900.00	75400.00		75400.00	79830.65		79830.65
13	48	4250	0		0	233.90		233.90	233.90		233.90	233.90		233.90
		योग	18999.70	121386.59	140386.29	59322.07	245383.10	304705.17	78822.07	249668.10	328490.17	80780.71	235145.98	315926.69